"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण-हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126] रायपुर,, बुधवार,, दिनांक 7 मई, 2008 — वैशाख 17, शक 1930

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन्स, जी.ई. रोड, रायपुर 492 001(छ0ग0)

फोन 077–4048788, फेक्स : 4073553

रायपुर — दिनांक 7 मई, 2008

क्रमांक 27/सी.एस.ई.आर.सी./2008— विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 15 एवं धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) एवं (स) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छ.रा.वि.नि.आ. (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004 बनाये गये थे, जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में 04.01.2005 को हुआ था। इस दौरान केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने विनियम यथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विद्युत व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय एवं संबंधित मुद्दों के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं नियम एवं शर्ते) विनियम, 2004 में कुछ संशोधन किए है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा किए गए कुछ संशोधन प्रासांगिक पाये गये, जिनका समावेश इस आयोग के उपरोक्त विनियमों में करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस आयोग के उपरोक्त विनियमों में कुछ और संशोधन करना आवश्यक समझा गया। अतएव विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 एवं धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) एवं (स) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग निम्न विनियम बनाता है, जिसके द्वारा छ.रा.वि.नि.आ. (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004 को संशोधित किया गया हैः—

01 संक्षिप्त नाम एवं प्रारूपः—

(i) इस विनियम, को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

02 **विनियम 6 अ का समावेश :–**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004 (जो इसके बाद से '' प्रमुख विनियम '' कहे जायेंगे) के विनियम 6 के उपरान्त निम्नानुसार समावेश किया जाएगा:–

'' 6 (A) **अनुज्ञप्ति की अयोग्यता :–** *आयोग की राय में यदि किसी आवेदक के सम्बन्ध में उसकी '' स्थिति या तथ्य '' ऐसे है, जो कि उसकी, केन्द्रीय अधिनियम में निर्धारित कर्तव्यों एवं बाध्यताओं को पूर्ण करने की क्षमता के सम्बन्ध में संदेह पैदा करते है, तो वह आवेदक इन विनियमों के तहत् अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के योग्य नही होगा।*

स्पष्टीकरण :– इन विनियमों में '' स्थिति एवं तथ्य '' से अभिप्रेत है कि, आवेदक या उसका कोई साझेदार, संचालक या समर्थक (Promoter) को किसी न्यायलय द्वारा; नैतिक कार्यों, अभियोग / किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हानिप्रद आदेश, किसी आर्थिक अपराध में संलग्नता, कपटपूर्ण अथवा अनैतिक व्यापारिक कार्य, चालाकी पूर्ण व्यापार और कोई अन्य पर्याप्त कारण; पाया जाता है।
तथापि किसी भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन को उपरोक्त कारणों से, आवेदक को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त नही किया जा सकेगा।''

03 **विनियम 8(2) में संशोधन**

प्रमुख विनियमों के विनियम 8(2) के अंत में दर्शाये गये शब्द *'' सचिव ''* को शब्द *'' आयोग ''* द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

04 **विनियम 23 का संशोधन**

प्रमुख विनियमों के विनियम 23 मे दर्शाये शब्दों *'' 25 वर्ष की अवधि ''* को शब्दों *'' 25 वर्ष की अधिकतम अवधि ''* द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

05 **विनियम 31 (2) (f) का समावेश**

प्रमुख विनियमों के विनियम 31 (2) (e) के उपरान्त विनियम 31(2)(f) का निम्नानुसार समावेश किया जाएगा :–

'' जहॉ आयोग की रॉय में उसकी स्थिति या तथ्य ऐसे है, जो कि अनुज्ञप्ति में निर्धारित कर्तव्यों को पूर्ण करने की अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता के सम्बन्ध में संदेह पैदा करते हों।

स्पष्टीकरण – इन विनियमों में '' स्थिति या तथ्य '' से अभिप्रेत है, आवेदक या उसका कोई साझेदार अथवा संचालक या समर्थक (Promoter) को किसी न्यायलय द्वारा; नैतिक कार्यों, अभियोग / किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हानिप्रद आदेश, बैंक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी या उसके साझेदार, संचालक या समर्थक (Promoter) को दिवालिया घोषित, किसी आर्थिक अपराध में संलग्नता, कपटपूर्ण अथवा अनैतिक व्यापारिक कार्य, चालाकी पूर्ण व्यापार और कोई अन्य पर्याप्त कारण; पाया जाता है।''

06 विनियम 33(4) का संशोधन –

प्रमुख विनियमों के विनियम 33(4) को निम्नानुर प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

" पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसा कोई अनुबंध नही करेगा या भिन्न प्रकार से विद्युत व्यापार के कार्य में संलग्न नही होगा अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विद्युत व्यापार में सहयोग नही करेगा। "

07 विनियम 34(1)

प्रमुख विनियमों के विनियम 34(1) के अंत में निम्नानुसार जोड़ा जाता हैः–

"जैसा कि "केन्द्रीय अधिनियम की धारा 73 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जाए।"

08 विनियम 43(6) का संशोधन

प्रमुख विनियमों के विनियम 43(6) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"यदि अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार का विस्तार निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पहुंचता हो, अनुज्ञप्तिधारी अपनी शुद्ध वित्तीय सार्मथ्य बढ़ायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष, जो 31 मार्च को समाप्त होता है, के दौरान विद्युत व्यापार की मात्रा के आधार पर श्रेणी का बदलाव निर्धारित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी अपनी वित्तीय सार्मथ्य के परिवर्तन से आयोग को अवगत करायेगा। व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र.	व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणी	एक वर्ष में विद्युत व्यापार की प्रस्तावित मात्रा (किलो–वॉट आवर्स में)
01.	A	100 मिलियन तक
02.	B	100 से 200 मिलियन तक
03.	C	200 से 500 मिलियन तक
04.	D	500 मिलियन से 700 मिलियन तक
05.	E	700 मिलियन से 1000 मिलियन तक
06.	F	1000 मिलियन से अधिक

09 विनियम 45(2) का संशोधन

प्रमुख विनियमों के विनियम 45(2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"आवेदक अधिकतम विद्युत व्यापार की मात्रा के प्रबंध के बराबर की साख हेतु समुचित पूंजी पर्याप्तता तथा शुद्ध वित्तीय सार्मथ्य 30 दिन (एक माह) के औसत व्यवस्थापन के लिए सदैव बनाये रखेगा। आवेदन के समय विद्युत व्यापारी की शुद्ध वित्तीय सार्मथ्य निम्नानुसार निर्धारित राशि से कम नही होना चाहिये :–

क्र.	व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणियां	शुद्ध वित्तीय सार्मथ्य (रू. करोड़ में)
1.	A	1.5

2.	B	*3.0*
3.	C	*7.5*
4.	D	*10.0*
5.	E	*15.0*
6.	F	*20.0*

10 विनियम 49 का समावेश

प्रमुख विनियमों के विनियम 48 के उपरान्त निम्नानुसार समावेश किया जाएगाः—

''49 अधिकार का संशोधन

उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों में आयोग किसी भी समय, परिवर्तन, सुधार, आशोधन अथवा संशोधन कर सकेगा।''

टीपः— *इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस सम्बन्ध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा।*

आयोग के आदेशानुसार,

(एन.के. रूपवानी)
सचिव